



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62682

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8777 वर्ष 2026

दीक्षा गौतम

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के निर्देशों के अनुसार, पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को थाना-ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 11 वर्ष 2026, धारा-137(2), 61(2), 351(3) बी.एन.एस. और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 16/17 के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का प्रथम सूचनादाता के सगे भाई के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है, और आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता के भाई के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न के संबंध में 22.10.2024 को एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इसलिए, वर्तमान

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण आशय से एक प्रतिशोध के रूप में दर्ज कराई गई है, जिसका उद्देश्य केवल आवेदक पर उसके भाई के साथ विवाद सुलझाने के लिए दबाव बनाना है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी और धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के परिशीलन से भी आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उसने पीड़िता को अभियुक्त विनीत के साथ जाने के लिए राजी किया था। अतः आवेदक को झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साथ संलग्न शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 26 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और एक महिला होने के नाते, वह बी.एन.एस.एस. की धारा 480 के आलोक में जमानत पर रिहा होने की हकदार है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाली नागरिक है और 16.01.2026 से जेल में बंद है। जमानत मिलने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को देखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वधवन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में दिए गए आदेश के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **दीक्षा गौतम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन के ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगी।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध में लिप्त नहीं होगी।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगी।
8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानती की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ**, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजी जाए।

25 मार्च, 2026

एस.सी.

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।